

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/19/ 134

दिनांक 29/8/19

—: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार बिजयनगर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंभा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बिजयनगर उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।  
तहसील :- बिजयनगर  
पटवार मण्डल :- शिखरानी।

क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार पत्रांक नम्बर दिनांक	वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि				नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
			ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा(बीघा)	किस्म जमीन
1	2019/00278	1707 19.07.2019	गौखमपुरा	390/12	0.4489 हैक्ट.	बारानी 3	390/12	0.4489 है.	गै.मु. रास्ता
2	2019/00273	1823 29.07.2019	शिखरानी।	558	0.2993 हैक्ट.	बारानी 3	558	0.2993 है.	गै.मु. रास्ता
3	2019/00257	1702 19.07.2019	शिखरानी।	425	0.5582 हैक्ट.	बारानी 3	425	0.5582 है.	गै.मु. रास्ता
4	2019/00258	1703 19.07.2019	शिखरानी।	542	0.2993 हैक्ट.	बारानी 3	542/1	0.1618 है.	गै.मु. रास्ता
5	2019/00259	1704 19.07.2019	शिखरानी।	791	0.2750 हैक्ट.	बारानी 3	791	0.2750 है.	गै.मु. रास्ता
6	2019/00260	1705 19.07.2019	नगर	645	0.5180 हैक्ट.	बारानी 3	645	0.5180 है.	गै.मु. रास्ता
7	2019/00140	1828 12.07.2019	शिखरानी।	1903	1.1002 हैक्ट.	बारानी 3	1903/1	0.1632 है.	गै.मु. रास्ता
8	2019/00142	1829 12.07.2019	शिखरानी।	778	1.4002 हैक्ट.	बारानी 2	778	1.4002 है.	गै.मु. रास्ता
9	2019/00261	1706 19.07.2019	नगर	745	1.5135 हैक्ट.	बारानी 2	745	1.5135 हैक्ट.	गै.मु. रास्ता
10	2019/00256	1701 19.07.2019	शिखरानी।	724	0.2750 हैक्ट.	बारानी 3	724	0.2750 हैक्ट.	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खन्नावलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

